

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 236/2024

वाद अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

विजयपाल पुत्र स्व. श्री रिछपाल जाति बिश्नोई निवासी बोलांवाली तहसील
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम्

1. तीजा पत्नी स्व. श्री रिछपाल जाति बिश्नोई निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. राजबाला पुत्री स्व. श्री रिछपाल जाति बिश्नोई निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. सन्तोष पुत्री स्व. श्री रिछपाल जाति बिश्नोई निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. तारा देवी पुत्री स्व. श्री रिछपाल जाति बिश्नोई निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. ममता पत्नी श्री विजयपाल जाति बिश्नोई निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. भागवन्ती पत्नी स्व. श्री जगराम जाति बिश्नोई निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. शिवप्रकाश दत्तक पुत्र श्री जगराम जाति बिश्नोई निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. केशल्या पुत्री श्री जगराम जाति बिश्नोई निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
9. पुष्पा पुत्री श्री जगराम जाति बिश्नोई निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
10. शकिला पुत्री श्री जगराम जाति बिश्नोई निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
11. राधा पुत्री श्री जगराम जाति बिश्नोई निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
12. अल्का पत्नी श्री शिवप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
13. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादी की ओर से

प्रतिवादी की ओर से

:- श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

:- श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

निर्णय दिनांक:- 31.5.2024

वादी विजयपाल ने प्रतिवादीगण तीजा वगैरा के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत घोषणा एवं खाता विभाजन का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 13 जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। तहसील संगरिया के चक 7 एन.टी.डब्ल्यू. के खाता सं. 88/57 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में वादी के पिता स्व. रिछपाल उर्फ कपालचन्द पुत्र श्री करनाराम के नाम से 1.771 है. कृषि भूमि, तहसील संगरिया के चक 7 एन.टी.डब्ल्यू. के खाता सं. 89/48 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में वादी के पिता स्व. श्री रिछपाल उर्फ कपालचन्द पुत्र श्री करनाराम के नाम से 3.542 है. कृषि भूमि, तहसील संगरिया के चक 7 ए.एम.पी. के खाता सं. 102/38 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में वादी के पिता स्व. श्री रिछपाल उर्फ कपालचन्द पुत्र श्री करनाराम के नाम से 0.633 है. कृषि भूमि, तहसील संगरिया के चक 7 एन.टी.डब्ल्यू. के खाता सं. 90/50 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में वादी के पिता स्व. श्री रिछपाल उर्फ कपालचन्द पुत्र श्री करनाराम के नाम से 0.253 है. कृषि भूमि, तहसील संगरिया के चक 17 बी.जी.पी. के खाता सं. 161/87 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में वादी की चाची एवं चचेरी बहिनों प्रतिवादी सं. 6,8ता11 के नाम से 1.012 है. कृषि भूमि तथा तहसील संगरिया के चक 17 बी.जी.पी. के खाता सं. 172/118 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में वादी

लगातार --2

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

ने स्व. विता रिष्पाल उर्फ कृपालचन्द पुत्र श्री करनाराम के नाम से 0.886 हे. कृषि भूमि, तहसील संगरिया के चक 7 एन.टी.डब्ल्यू के खाता सं. 68/50 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में वादी की चाची एवं चाचेरी बहिनों प्रतिवादी सं. 6, 8 ता 11 के नाम से 1.265 हे. कृषि भूमि तथा तहसील संगरिया के चक 7 एन.टी.डब्ल्यू के खाता सं. 67/13 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में रिवाइ है। उक्त चकों के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतिलिपियां सलंगन वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिवाइ में बंटवारानुसार दर्ज नहीं होने के कारण तथा आज का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 13 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जारिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 13 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया था। जिसमें प्रतिवादी सं. 2 ता 4, 8 ता 11 ने अपने समस्त हक व हिस्सा की कृषि भूमि का परित्याग वादी एवं प्रतिवादी सं. 1, 5, 6, 7 व 12 के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया था। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1, 5, 6, 7 व 12 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से है :-

(क) वादी विजयपाल पुत्र स्व. श्री रिष्पाल एवं प्रतिवादीया सं. 5 ममता पत्नी श्री विजयपाल समस्त जाति बिश्नोई निवासीगण बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-

तहसील संगरिया के चक 7 एन.टी.डब्ल्यू. के एकल खाता सं. 90/50 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 0.253 हे. कृषि भूमि

चक 7 एन.टी.डब्ल्यू. एकल खाता सं. 89/48 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.
171/167 39 1,2,9,10,11,12,19,20,22/0.253 है.प्र.,
कुल 2.277 हे. कृषि भूमि

चक 7 एन.टी.डब्ल्यू. खाता सं. 67/13 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.
171/166 24 23/0.253 है.
171/167 39 3,8,13,18,23/0.253 है.प्र.
171/158 43 2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है.
कुल 1.771 हे. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी सं. 1 तीजा पत्नी स्व. श्री रिष्पाल जाति बिश्नोई निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :-

चक 7 एन.टी.डब्ल्यू. एकल खाता सं. 89/48 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.
170/167 38 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.,
6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है., 14/0.253 है.
15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है.,
16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.

(ग) मुजाकिन 1.165 है., गै.मु. 0.100 है., कुल 1.265 है. मय गै.मु. कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 7 शिवप्रकाश दत्तक पुत्र श्री जगराम जाति बिश्नोई निवासी बोलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि:-

तहसील संगरिया के चक 17 बी.जी.पी. के खाता सं. 172/118 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 0.886 हे. कृषि भूमि
तहसील संगरिया के चक 7 ए.एम.पी. के एकल खाता सं. 102/38 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 0.633 हे. कृषि भूमि

(घ) प्रतिवादी सं. 7 शिवप्रकाश दत्तक पुत्र श्री जगराम एवं प्रतिवादी सं. 12 अन्का पत्नी श्री शिवप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-

लगातार --3

ए.एम.पी. के खाता सं. 102/38 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में वादी के पिता स्व. श्री रिछपाल उर्फ कृपालचन्द पुत्र श्री करनाराम के नाम से 0.633 है. कृषि भूमि, तहसील संगरिया के चक 7 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 90/50 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में वादी के पिता स्व. श्री रिछपाल उर्फ कृपालचन्द पुत्र श्री करनाराम के नाम से 0.253 है. कृषि भूमि, तहसील संगरिया के चक 17 बी.जी.पी. के खाता सं. 161/87 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में वादी की चाची एवं चचेरी बहिनों प्रतिवादी सं. 6,8ता11 के नाम से 1.012 है. कृषि भूमि तथा तहसील संगरिया के चक 17 बी.जी.पी. के खाता सं. 172/118 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में वादी के स्व. पिता रिछपाल उर्फ कृपालचन्द पुत्र श्री करनाराम के नाम से 0.886 है. कृषि भूमि, तहसील संगरिया के चक 7 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 68/50 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में वादी की चाची एवं चचेरी बहिनों प्रतिवादी सं. 6, 8 ता 11 के नाम से 1.265 है. कृषि भूमि तथा तहसील संगरिया के चक 7 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 67/13 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में वादी की चाची प्रतिवादी सं. 6 के नाम से 3.289 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 12 द्वारा सहमति के जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 12 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नहीं आया है। वाद पत्र मुताबिक जवाब दावा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि:-

(क) वादी विजयपाल पुत्र स्व. श्री रिछपाल एवं प्रतिवादीया सं. 5 ममता पत्नी श्री विजयपाल समस्त जाति बिश्नोई निवासीगण बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के डक हिस्सा व कब्जाकाशत की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-
तहसील संगरिया के चक 7 एन.टी.डब्ल्यु. के एकल खाता सं. 90/50 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 0.253 है. कृषि भूमि

चक 7 एन.टी.डब्ल्यु. एकल खाता सं. 89/48 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73
प.नं. मु.नं. कि.नं.

171/167 39 1,2,9,10,11,12,19,20,22/0.253 है.प्र.,
कुल 2.277 है. कृषि भूमि

चक 7 एन.टी.डब्ल्यु. खाता सं. 67/13 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73
प.नं. मु.नं. कि.नं.

171/166 24 23/0.253 है.

171/167 39 3,8,13,18,23/0.253 है.प्र.

171/158 43 2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है.

कुल 1.771 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी सं. 1 तीजा पत्नी स्व. श्री रिछपाल जाति बिश्नोई निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के डक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 7 एन.टी.डब्ल्यु. एकल खाता सं. 89/48 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73
प.नं. मु.नं. कि.नं.

170/167 38 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.,

6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है., 14/0.253 है.

15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है.,

16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.

मुमकिन 1.165 है., गै.मु. 0.100 है., कुल 1.265 है. मय गै.मु. कृषि भूमि
(ग) प्रतिवादी सं. 7 शिवप्रकाश दत्तक पुत्र श्री जगराम जाति बिश्नोई निवासी बोलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)के डक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि:-

तहसील संगरिया के चक 17 बी.जी.पी. के खाता सं. 172/118 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 0.886 है. कृषि भूमि

तहसील संगरिया के चक 7 ए.एम.पी. के एकल खाता सं. 102/38 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 0.633 है. कृषि भूमि

(घ) प्रतिवादी सं. 7 शिवप्रकाश दत्तक पुत्र श्री जगराम एवं प्रतिवादी सं. 12 अल्का

लगातार --5



सत्यमेव जयते


Web Copy - Not Official

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

पत्नी श्री शिवप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-
संवत् 2070-73 में 1.771 है. कृषि भूमि के एकल खाता सं. 88/57 जमाबन्दी तहसील संगरिया के चक 7 एन.टी.डब्ल्यू. के एकल खाता सं. 68/50 जमाबन्दी संवत् 2070-73 में 1.265 है. कृषि भूमि तहसील संगरिया के चक 17 बी.जी.पी. के खाता सं. 161/87 जमाबन्दी संवत् 2072-75 में 1.012 है. कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 7 भागवन्ती पत्नी स्व. श्री जगराम जाति बिश्नोई निवासी बोलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि:-
चक 7 एन.टी.डब्ल्यू. खाता सं. 67/13 जमाबन्दी संवत् 2070-73
प.नं. मु.नं. कि.नं.
171/166 24 17,24/0.253 है.प्र.
171/167 39 4,14,17/0.253 है.प्र., 7/1/0.223 है.,
7/2/0.030 है.(गै.मु. रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है।)
कुल 1.518 है. कृषि भूमि

मुताबिक बंटवारा तहसील संगरिया के चक 7 एन.टी.डब्ल्यू. के खाता सं. 89/48 जमाबन्दी संवत् 2070-73 में वादी के पिता स्व. श्री रिछपाल उर्फ कृपालचन्द पुत्र श्री करनाराम के नाम से 3.542 है. कृषि भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी सं. 5 को 2.277 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के तथा प्रतिवादी सं. 1 को 1.265 है. कृषि भूमि की खातेदार काशतकार घोषित कर स्व. श्री रिछपाल उर्फ कृपालचन्द पुत्र श्री करनाराम का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार तहसील संगरिया के चक 7 एन.टी.डब्ल्यू. के खाता सं. 90/50 जमाबन्दी संवत् 2073-76 में वादी के पिता स्व. श्री रिछपाल उर्फ कृपालचन्द पुत्र श्री करनाराम के नाम से 0.253 है. कृषि भूमि का वादी एवं प्रतिवादी सं. 5 को ब.हि.ब. के खातेदार काशतकार घोषित कर स्व. श्री रिछपाल उर्फ कृपालचन्द पुत्र श्री करनाराम का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार तहसील संगरिया के चक 7 एन.टी.डब्ल्यू. के खाता सं. 67/13 जमाबन्दी संवत् 2070-73 में वादी की चाची प्रतिवादी सं. 6 के नाम से 3.289 है. कृषि भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी सं. 5 को 1.771 है. कृषि भूमि के ब. हि.ब. के तथा प्रतिवादी सं. 7 को 1.518 है. कृषि भूमि का खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 6 का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार तहसील संगरिया के चक 7 एन.टी.डब्ल्यू. के खाता सं. 88/57 जमाबन्दी संवत् 2070-73 में वादी के पिता स्व. रिछपाल उर्फ कृपालचन्द पुत्र श्री करनाराम के नाम से 1.771 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 7 व 12 को ब.हि.ब. के खातेदार काशतकार घोषित कर स्व. रिछपाल उर्फ कृपालचन्द पुत्र श्री करनाराम का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार तहसील संगरिया के चक 7 ए.एम. पी. के खाता सं. 102/38 जमाबन्दी संवत् 2073-76 में वादी के पिता स्व. श्री रिछपाल उर्फ कृपालचन्द पुत्र श्री करनाराम के नाम से 0.633 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 7 को खातेदार काशतकार घोषित कर स्व. श्री रिछपाल उर्फ कृपालचन्द पुत्र श्री करनाराम का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार तहसील संगरिया के चक 17 बी.जी.पी. के खाता सं. 161/87 जमाबन्दी संवत् 2072-75 में वादी की चाची एवं चचेरी बहिनों प्रतिवादी सं. 6,8ता11 के नाम से 1.012 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 7 व 12 को खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 6, 8 ता 11 का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार तहसील संगरिया के चक 17 बी.जी.पी. के खाता सं. 172/118 जमाबन्दी संवत् 2072-75 में वादी के स्व. पिता रिछपाल उर्फ कृपालचन्द पुत्र श्री करनाराम के नाम से 0.886 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 7 को खातेदार काशतकार घोषित कर स्व. पिता रिछपाल उर्फ कृपालचन्द पुत्र श्री करनाराम का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार तहसील संगरिया के चक 7 एन.टी.डब्ल्यू. के खाता सं. 68/50 जमाबन्दी संवत् 2070-73 में वादी की चाची एवं चचेरी बहिनों प्रतिवादी सं. 6, 8 ता 11 के नाम से 1.265 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 7 व 12 को ब.हि.ब. के खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 6, 8 ता 11 का नाम कलमजन किया

लगातार --6



जावे तथा घराघरु बंटवानुसार चक 7 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 67/13 के प.नं. 171/167 मु.नं. 39 के कि.नं. 7/0.030 है. (किला की दक्षिणी दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर 165 फुट लम्बा व 20 फुट चौड़ा रास्ता) कृषि भूमि को गै.मु. कृषि भूमि में अंकित किया जावे व उपरोक्तानुसार खाता अलग से कायम किया जावे।

नोट:- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।



इसके अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्या डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकपक्ष अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31.5.2014 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
संगरिया



डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 236/2024

विजयपाल पुत्र स्व. श्री रिछपाल जाति बिश्नोई निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम

1. तीजा पत्नी स्व. श्री रिछपाल जाति बिश्नोई निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. राजबाला पुत्री स्व. श्री रिछपाल जाति बिश्नोई निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. सन्तोष पुत्री स्व. श्री रिछपाल जाति बिश्नोई निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. तारा देवी पुत्री स्व. श्री रिछपाल जाति बिश्नोई निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. ममता पत्नी श्री विजयपाल जाति बिश्नोई निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. भागवन्ती पत्नी स्व. श्री जगराम जाति बिश्नोई निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. शिवप्रकाश दत्तक पुत्र श्री जगराम जाति बिश्नोई निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. कौशल्या पुत्री श्री जगराम जाति बिश्नोई निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
9. पुष्पा पुत्री श्री जगराम जाति बिश्नोई निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
10. शकिला पुत्री श्री जगराम जाति बिश्नोई निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
11. राधा पुत्री श्री जगराम जाति बिश्नोई निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
12. अल्का पत्नी श्री शिवप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

1 इत्तहासीबादार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 31.5.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.) के समक्ष वादते इत्तहासीबाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री कुलदीप मुण्ड वकील वादी मिन जाभिन मुदई श्री महावीर बेरड वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 12 मिन जाभिन मुदायला पेश होकर हुकूम दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि:-

- (क) वादी विजयपाल पुत्र स्व. श्री रिछपाल एवं प्रतिवादीया सं. 5 ममता पत्नी श्री विजयपाल समस्त जाति बिश्नोई निवासीगण बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के एक हिस्सा व कब्जाकाशत की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-
तहसील संगरिया के चक 7 एन.टी.डब्ल्यु. के एकल खाता सं. 90/50 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 0.253 है. कृषि भूमि
चक 7 एन.टी.डब्ल्यु. एकल खाता सं. 89/48 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73
प.नं. मु.नं. कि.नं.
171/167 39 1,2,9,10,11,12,19,20,22/0.253 है.प्र.,
कुल 2.277 है. कृषि भूमि
चक 7 एन.टी.डब्ल्यु. खाता सं. 67/13 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73
प.नं. मु.नं. कि.नं.
171/166 24 23/0.253 है.
171/167 39 3,8,13,18,23/0.253 है.प्र.
171/158 43 2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है.
कुल 1.771 है. मय गै.मु. कृषि भूमि



लगातार --2

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

प्रतिवादी सं. 1 तीजा पत्नी स्व. श्री रिछपाल जाति बिश्नोई निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-
एन.टी.डब्ल्यू. एकल खाता सं. 89/48 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73
मु.नं. कि.नं.

110/167 38 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.,
6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है., 14/0.253 है.
15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है.,
16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.

मु.नं.कि.नं. 1.165 है., जै.मु. 0.100 है., कुल 1.265 है. मय जै.मु. कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 7 शिवप्रकाश दत्तक पुत्र श्री जगराम जाति बिश्नोई निवासी बोलावाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि:-

तहसील संगरिया के चक 17 बी.जी.पी. के खाता सं. 172/118 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 0.886 है. कृषि भूमि तहसील संगरिया के चक 7 ए.एम.पी. के एकल खाता सं. 102/38 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 0.633 है. कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 7 शिवप्रकाश दत्तक पुत्र श्री जगराम एवं प्रतिवादी सं. 12 अल्का पत्नी श्री शिवप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-

तहसील संगरिया के चक 7 एन.टी.डब्ल्यू. के एकल खाता सं. 88/57 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 1.771 है. कृषि भूमि तहसील संगरिया के चक 7 एन.टी.डब्ल्यू. के एकल खाता सं. 68/50 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 1.265 है. कृषि भूमि तहसील संगरिया के चक 17 बी.जी.पी. के खाता सं. 161/87 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 1.012 है. कृषि भूमि

(इ) प्रतिवादी सं. 7 भागवन्ती पत्नी स्व. श्री जगराम जाति बिश्नोई निवासी बोलावाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि:-
चक 7 एन.टी.डब्ल्यू. खाता सं. 67/13 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

मु.नं. कि.नं.
166 24 17,24/0.253 है.प्र.
17 39 4,14,17/0.253 है.प्र., 7/1/0.223 है.,
7/2/0.030 है.(जै.मु. रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है।)
कुल 1.518 है. कृषि भूमि

बंटवारा तहसील संगरिया के चक 7 एन.टी.डब्ल्यू. के खाता सं. 89/48 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में वादी के पिता स्व. श्री रिछपाल उर्फ कृपालचन्द पुत्र श्री करनाराम के नाम से 3.542 है. कृषि भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी सं. 5 को 2.277 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के तथा प्रतिवादी सं. 1 को 1.265 है. कृषि भूमि की खातेदार काशतकार घोषित कर स्व. श्री रिछपाल उर्फ कृपालचन्द पुत्र श्री करनाराम का नाम कलमजन किया जाये, इसी प्रकार तहसील संगरिया के चक 7 एन.टी.डब्ल्यू. के खाता सं. 90/50 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में वादी के पिता स्व. श्री रिछपाल उर्फ कृपालचन्द पुत्र श्री करनाराम के नाम से 0.253 है. कृषि भूमि का वादी एवं प्रतिवादी सं. 5 को ब.हि.ब. के खातेदार काशतकार घोषित कर स्व. श्री रिछपाल उर्फ कृपालचन्द पुत्र श्री करनाराम का नाम कलमजन किया जाये, इसी प्रकार तहसील संगरिया के चक 7 एन.टी.डब्ल्यू. के खाता सं. 67/13 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में वादी की चाची पतिवादी सं. 6 के नाम से 3.289 है. कृषि भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी सं. 5 को 1.771 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के तथा प्रतिवादी सं. 7 को 1.518 है. कृषि भूमि का खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 6 का नाम कलमजन किया जाये, इसी प्रकार तहसील संगरिया के चक 7 एन.टी.डब्ल्यू. के खाता सं. 88/57 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में वादी के पिता स्व. रिछपाल उर्फ कृपालचन्द पुत्र श्री करनाराम के नाम से 1.771 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 7 व 12 को ब.हि.ब. के खातेदार काशतकार घोषित कर स्व. रिछपाल उर्फ कृपालचन्द पुत्र श्री करनाराम का नाम कलमजन किया जाये, इसी प्रकार तहसील संगरिया के चक 7 ए.एम.पी. के खाता सं. 102/38 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में वादी के पिता स्व. श्री रिछपाल उर्फ कृपालचन्द पुत्र श्री करनाराम के नाम से 0.633 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 7 को खातेदार काशतकार घोषित कर स्व. श्री रिछपाल उर्फ कृपालचन्द पुत्र श्री करनाराम का नाम कलमजन किया जाये, इसी प्रकार तहसील संगरिया के चक 17 बी.जी.पी. के खाता सं. 161/87 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में वादी की चाची एवं घचेरी बहिनों प्रतिवादी सं. 6,8,ता11 के नाम से 1.012 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 7 व 12 को खातेदार लगातार --3



सहायक कलेक्टर एवं
उपकरण अधिकारी
संगरिया

काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 6, 8 ता 11 का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार तहसील संगरिया के चक 17 बी.जी.पी. के खाता सं. 172/118 जमाबन्दी सं. 2072-75 में वादी के स्व. पिता रिछपाल उर्फ कूपालचन्द पुत्र श्री करनाराम के नाम से 0.886 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 7 को खातेदार काश्तकार घोषित कर तथा रिछपाल उर्फ कूपालचन्द पुत्र श्री करनाराम का नाम कलमजन किया जावे इसी प्रकार तहसील संगरिया के चक 7 एन.टी.डब्ल्यू. के खाता सं. 68/50 जमाबन्दी सं. 2070-73 में वादी की चाची एवं चचेरी बहिनों प्रतिवादी सं. 6, 8 ता 11 के नाम से 1.265 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 7 व 12 को ब.हि.व. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 6, 8 ता 11 का नाम कलमजन किया जावे तथा घराघरू बंटवारेनुसार चक 7 एन.टी.डब्ल्यू. के खाता सं. 67/13 के प.नं. 171/167 मु.नं. 39 के कि.नं. 7/0.030 है. (किला की दक्षिणी दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर 165 फुट लम्बा व 20 फुट चौड़ा रास्ता) कृषि भूमि को गै.मु. कृषि भूमि में अंकित किया जावे व उपरोक्तानुसार खाता अलग से कायम किया जावे।



अदि डिक्लीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्ली किया जावे।

निल मुब्लिक निल बाबत
 खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख
 वसूलयाबी तकको अदा करे।

बसइत मेरे दस्तखत एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 31.5.2014 को जारी किया जाता है।

(राकेश कुमार मीना)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
 उपखण्ड अधिकारी
 संगरिया

